रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13062024-254680
CG-DL-W-13062024-254680

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 2,—जून 8, 2024, शनिवार/ज्येष्ठ 12—ज्येष्ठ 18, 1946
No. 21] NEW DELHI, JUNE 2,—JUNE 8, 2024, SATURDAY/JYAISHTHA 12— JYAISHTHA 18, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 2024

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह "ग" पद), भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. SM/02/21/2018]

DINESH CHANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 2024

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन. - सेवा नियमों में वर्णित भंडारी ग्रेड-2 तथा भंडारी ग्रेड-3 के पदों के पदधारी, क्रमश: ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी के रूप में पुनः पदाभिहित हुए हैं और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व पद में ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवाएं, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा के रूप में ली जाएगी। ऐसे अधिकारीयों की वरिष्ठता का रखरखाव भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा वरिष्ठता पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार नियत की जाएगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ज्येष्ठ भंडारी।	43* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92300 रु.)।	अचयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग,द्वारा,यथा विज्ञापित होगी।	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ एक विषय के रूप में स्नातक डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत् निकाय या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान या बैंक या शेयर बाज़ार पर सूचीबद्ध किसी नीजी सेक्टर संगठन के समुत्थान या भंडारण में भंडारण संभालने तथा लेखा पालन में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित निम्नतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा; और (ii) 50% सीधे भर्ती द्वारा।

	टिप्पण 2.- अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति : भंडारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81100 रु.) में श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1.उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 2.एक समूह 'क' अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से संबंधित -सदस्य; 3.सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1.उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 2.एक समूह 'क' अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से संबंधित -सदस्य;	लागू नहीं होता।

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81100 रु.) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. भंडारी।	50* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81100 रु.)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच आयु। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा	(क) (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास; और (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय, या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या बैंक या शेयर बाज़ार पर सूचीबद्ध नीजी सेक्टर संगठन में किसी भंडार या समुत्थान में भंडार के रखरखाव या लेखा पालन में दो वर्ष का अनुभव; या	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण.-** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित निम्नतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	100% सीधे भर्ती द्वारा।

सकती है।) **टिप्पण.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ एक विषय के रूप में स्नातक डिग्री। **टिप्पण 1.-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1.उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 2.एक समूह 'क' अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण से भिन्न कार्यालय से संबंधित -सदस्य; 3.सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एस एम/02/10/2023]

अनुपमा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 2024.

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Store Keeper and Store Keeper in the Survey of India under Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of India, Senior Store Keeper and Store Keeper (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial constitution.- The incumbents to the posts of Store Keeper Grade II and Store Keeper Grade III, mentioned in the service rules, are hereby re-designated as Senior Store Keeper and Store Keeper, respectively and the services rendered by such persons in the post before commencement of these rules shall be taken into account as regular service for the purpose of seniority and promotion, etc. The seniority of such officers shall be maintained by Survey of India and shall be fixed as per the orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time in this regard.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Senior Store Keeper.	43* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, If any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Between 18 and 27	(i) Bachelor's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or	No.	Two years for	(i) Fifty per cent. by

years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Public Administration as a subject from a recognised University or institute; and (ii) Two years' experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or a concern of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation, public sector undertakings or University or recognised institute or Bank or in a private sector organisation listed on the Stock Exchanges. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to be fill up the vacancies reserved for them.		direct recruits. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment; and (ii) Fifty per cent. by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Store Keeper in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office -Chairperson; 2. One Group A officer from the office other than Survey of India - Member; 3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Surveyor	Not applicable.

department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	General, Surveyor General's Office -Chairperson; 2. One Group A officer from the office other than Survey of India - Member; 3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Store Keeper.	50* (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**(a)** (i) 12th class pass from a recognised Board; and (ii) Two years experience in handling stores and keeping Accounts in a store or a concern of the Central or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institute or Bank or in private sector organisation listed on the Stock exchanges of India; or **(b)** Bachelor's Degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or institute. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	100 per cent. by direct recruitment.

	competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office -Chairperson; 2. One Group 'A' officer from the office other than Survey of India -Member; 3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office - Member.	Not applicable.

[F.No.SM/02/10/2023]

ANUPAMA, Under Secy.